संख्या 682/ ।।–2010–03(09)/2009

प्रेषक,

राजीव गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

लघु सिंचाई विभाग देहरादूनः दिनांकः जून 09, 2010

विषयः– **केन्द्रपुरोनिधानित योजना "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)" के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 736 दिनांक 27.08.2009, पत्र संख्या 810 दिनांक 08.09.2009, पत्र संख्या 817 दिनांक 09.09.2009, पत्र संख्या 846 दिनांक 14.09.2009, पत्र संख्या 900 दिनांक 28.09.2009 एवं पत्र संख्या 928 दिनांक 08.10.2009 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 हेतु प्राप्त कुल 203 लघु सिंचाई योजनाओं, जिनकी कुल लागत 17566.86 लाख थी, की प्रशासनिक स्वीकृति शासन के शासनादेश संख्या 257/।।–2010–03(09)/2009 दिनांक 04.03.2010 के द्वारा प्रदान की गई थी, को संशोधित करते हुए आपके पत्र संख्या 1062 दिनांक 05.11.2009, पत्र संख्या 1067 दिनांक 06.11.2009, पत्र संख्या 1168 दिनांक 25.11.2009, पत्र संख्या 1192 दिनांक 27.11.2009, पत्र संख्या 1232 दिनांक 07.12.2009 एवं पत्र संख्या 1263 दिनांक 14.12.2009 के द्वारा प्राप्त अन्य लघु सिंचाई योजनाओं के प्रस्तावों को सम्मिलित करते हुए कुल 464 लघु सिंचाई योजनाओं, जिनकी कुल लागत 40444.59 लाख (रू0 चार अरब चार करोड़ चवालीस लाख उनसठ हजार मात्र) है तथा जिनका विवरण संलग्नक में है, की वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 हेतु ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. योजनाओ का कार्य कराते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स तथा शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

2. योजनाओं का कार्य तभी प्रारम्भ किया जायेगा जब भारत सरकार से इन योजनाओं के कियान्वयन हेतु धनराशि प्राप्त हो जायेगी।

3. अधीक्षण अभियन्ता का दायित्व होगा कि कार्यों को निष्पादित कराने से पूर्व आगणन में ली गयी लीड, दूरी आदि का सत्यापन करें तथा आगणन में ली गयी दरों का पुनः परीक्षण करा लें ताकि किसी दरों में कोई भ्रान्ति उत्पन्न न हों।

4. योजनाओं की सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5. कार्य सम्पादित कराते समय लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः.....2

6. निर्माण कार्यों में जहां आवश्यक हो वहां भूकम्परोधी तकनीक का प्रयोग किया जायेगा।

7. धनराशि का आहरण कोषागार से तभी किया जायेगा जब भारत सरकार से ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत धन उपलब्ध करा दिया जायेगा।

8. धन का उपयोगिता प्रमाण–पत्र कार्यवार व्यय के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

9. व्यय करते समय ए0आई0बी0पी0 की योजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

10. प्रत्येक योजना पर शिलापट्ट लगाया जायेगा, जिस पर योजना का नाम, लागत सहित सम्पूर्ण विवरण उल्लिखित होगा।

संलग्नः– यथोक्त।

भवदीय,

(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव

संख्या 682/ ।।–2010–03(09)/2009/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, लघु सिंचाई, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–4), उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव

M.I.Department\G.O. General.doc